फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– श्री प्रभु | **विपक्षी :– राज्य**

किस्म मुकदमा – 136 भू.रा.अधि. | **पत्रावली संख्या : 53/25**

जीसीएमएस : 2025/179

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 21.04.2025

पत्रावली प्रार्थी के प्रार्थना पत्र मय तहसीलदार रिपोर्ट के साथ पेश करने पर दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार मावली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकार्ड में जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 14.02.2025 से नामान्तरकरण संख्या 493 दिनांक 28.02.2025 से प्रभु पिता भोपा भील के नाम गलत दर्ज होना बताकर रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 14.02.2025 के आधार पर हीरा पिता भोपा भील दर्ज किये जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार मावली द्वारा रिपोर्ट पेश कर जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र 202503109100397 दिनांक 14.02.25 से ग्राम रेबारियो की ढाणी में लालुराम पिता भोपा व प्रभुराम पिता भोपा निवासी भैसडाखुर्द तहसील कुराबड द्वारा श्री हीरा पिता भोपा के पक्ष में दान पत्र किया गया। किन्तु पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण संख्या 493 दिनांक 28.02.2025 दर्ज करते वक्त तकनीकी कारणों से (सहवन से) दानग्रहिता प्रभु पिता भोपा दर्ज हो गया। उक्त नामान्तरकरण संख्या 493 ग्राम पंचायत गुडली द्वारा दिनांक 08.03.2025 को स्वीकृत कर दिया गया। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त त्रुटि सुधार कर दानग्रहिता प्रभु पिता भोपा के स्थान पर हीरा पिता भोपा शुद्व किये जाने की अनुशंषा की गई। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि खातेदार लालुराम पिता भोपा एवं प्रभु पिता भोपा द्वारा जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र से अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि को हिरा पिता भोपा को दान कर दी गई। इसी रजिस्टर्ड दान पत्र के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण पारित किया गया परन्तु सेहवन से प्रभु पिता भोपा अंकित कर दिया गया जबकि रजिस्टर्ड दान पत्र अनुसार हिरा पिता भोपा अंकित होना चाहिए था। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा रेबारियो की ढाणी पटवार हल्का गुडली तहसील मावली की आराजी नम्बर 4819/4781 में रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 14.02.2025 के आधार पर प्रभु पिता भोपा भील के बजाय हीरा पिता भोपा भील संशोधन किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया RAS)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:06:35 IST
Reason: SelfAttested